



एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड
दुग्ध भवन, दुग्ध मार्ग, हबीबगंज, भोपाल - 462024
(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

No - 1242
सन्दर्भ/Ref.

/विपणन/नस्ती क्र.-89/2024/

23 APR 2024
Date.....

प्रति,

- ✓ मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
✓ भोपाल/इन्दौर/उज्जैन/ग्वालियर/जबलपुर/बुंदेलखंड।

विषय- साँची पुराने पार्लर (लोहे की शीट पर निर्मित) को स्मार्ट पार्लर में चरणबद्ध तरीके से परिवर्तित करने बाबत।

संदर्भ- दिनांक 18.04.2024 को प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ के नेतृत्व में एमपीसीडीएफ के अधिकारियों के दल द्वारा उज्जैन दुग्ध संघ के भ्रमण उपरांत पत्र क्रमांक-1235/एमएण्डपी दिनांक 22.04.2024 से दिए गए निर्देश।

विषयान्तर्गत लेख है कि दुग्ध संघों के कार्यक्षेत्र अंतर्गत पूर्व कई वर्षों से पुराने पार्लर (लोहे की शीट पर निर्मित) स्थापित किए जाते रहे हैं। वर्तमान आधुनिक बाजार के स्वरूप को देखते हुए साँची के पुराने पार्लर/बूथ को आकर्षक स्वरूप देने की आवश्यकता प्रतीत होती है। दुग्ध संघों द्वारा वर्तमान में नवीन पार्लरों के रूप में स्मार्ट पार्लर स्थापित किए जा रहे हैं। पूर्व से स्थापित पुराने पार्लर को स्मार्ट पार्लर में परिवर्तित करने के लिये निम्नानुसार बिन्दुओं पर विचार किया जाना होगा।

1. पुराने पार्लर को स्मार्ट पार्लर में चरणबद्ध तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है।
2. प्रथम चरण में प्रत्येक दुग्ध संघ अपने दुग्ध संघ मुख्यालय के शहर के 10 सर्वोच्च परफार्म (विगत 10 वर्षों से अधिक समय से स्थापित) करने वाले पुराने पार्लर का चिन्हांकन कर स्मार्ट पार्लर में परिवर्तित कर सकते हैं।
3. दुग्ध संघ अपनी वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत प्रथम चरण में पुराने पार्लर के उन्नयन में 50 प्रतिशत राशि स्वयं निवेश कर भविष्य में सामान किस्तों पर निवेश की राशि पार्लर संचालक से प्राप्त करने पर विचार कर सकते हैं।
4. स्मार्ट पार्लर शिफ्टिंग स्वरूप वाले होने चाहिये जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार के विस्थापन में सुगमता हो सके।
5. दुग्ध संघ पुराने पार्लर को स्मार्ट पार्लर में परिवर्तित करने हेतु अच्छे पार्लर संचालकों की बैठक बुलाकर इस हेतु विचार विमर्श करते हुए उनकी प्रतिक्रिया जान सकते हैं।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा निर्देशित)

उप-महाप्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि-

1. पी ए टू एमडी, एमपीसीडीएफ, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. प्रभारी (वित्त/एमआईएस/सं.सं.), एमपीसीडीएफ, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

उप-महाप्रबंधक (विपणन)